राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

एकलपीठ सिविल द्वितीय अपील संख्या–309/2005

आदेश दिनांकः– **15.02.2022**

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता

उपस्थितः–
अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी :– श्री मोहम्मद आदिल
अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी :–

प्रार्थना पत्र संख्या–1478 अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. प्रत्यर्थी अब्दुल वहीद, जिसकी मृत्यु दिनांक 11.12.2017 को होना बताया गया है, के विधिक प्रतिनिधिगण को अभिलेख पर लेने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है ।

मृतक प्रत्यर्थी के विधिक प्रतिनिधिगण को प्रार्थना पत्र के नोटिस जारी किए थे जो उन पर तामील हो चुके हैं परन्तु उनकी ओर से प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है ।

सुना गया ।

प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व कारणों को दृष्टिगत रखते हुए व इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि प्रार्थना पत्र निश्चित समयावधि में प्रस्तुत किया गया है व उसके संबंध में मृतक प्रत्यर्थी के विधिक प्रतिनिधिगण ने कोई आपत्ति नहीं की है, प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या –2 में वर्णित मृतक प्रत्यर्थी अब्दुल वहीद के विधिक प्रतिनिधिगण को अभिलेख पर लिया जाता है ।

संशोधित वाद शीर्षक प्रस्तुत किया जा चुका है उसे भी अभिलेख पर लिया जाता है ।

(न्या0 प्रकाश गुप्ता)

ऋषिकेश सोनी/63